ऑन लाईन नं. GCMS 2023/264

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 106 / 2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री हनुमान पुत्र श्री ओमप्रकाश —विक्रेता व मालिक—
   मै. साहिल किरयाना स्टोर, मिर्जेवाला, श्रीगंगानगर।
2. श्री रामेश्वरलाल —होलसेल विक्रेता—
   मै. रवि किराना स्टोर, दुकान न. 97—98, मैन बाजार, केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय **दिनांकः 31.01.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव कार्यालय मु.चि.एवं.स्वा. अधिकारी श्रीगंगानगर में दिनांक 05.01.2023 को पद पर कार्य करने के लिये अधिकृत थे। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है एवं संसोधित गजट दिनांक 25.08.2011 को प्रकाशित कर किया गया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक — खाद्य सुरक्षा / निदे०/2022/337 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियी न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव दिनांक 05.01.2023 को सगय दोपहर 01.30 बजे को **मैसर्स साहिल किरयाना स्टोर, मिर्जेवाला, वार्ड नं. 07, श्री गंगानगर** जिला श्रीगंगानगर पर पहुँचा, मौके पर श्री हनुमान पुत्र श्री ओमप्रकाश (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय दे कर संस्थान में रखा खाद्य पदार्थ **घी (सरस ब्रॉण्ड)** के बारे मे जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान में रखे 500—500 मिली के 06 गत्ता शील्ड पैक खाद्य पदार्थ **घी (सरस ब्रॉण्ड)** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया मुझे इसी खाद्य पदार्थ घी (सरस ब्रॉण्ड) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **घी (सरस ब्रॉण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न 5 ए भरकर दीया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री हनुमान (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समहाकर व सही मानकर हरताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **श्री हनुमान** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **घी (सरस ब्रॉण्ड)** 500 मिली के 4 मूल गत्ता शील्ड पैक को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर

घी (सरस ब्रॉण्ड) का नगद भुगतान 1152 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जीतसिंह यादव ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (सरस ब्रॉण्ड)** के मूल 4 गत्ता शील्ड पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–1617** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप न **के–1617** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना गाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना माग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री हनुमान** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./25/Act/2023/25 Dated 20-01-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1617 Unsafe Food** होना पाया गया। अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया। विक्रेता द्वारा पुनः जांच हेतु आवेदन करने पर नमूना जांच हेतु रेफरल लेब, पुणे भिजवाया गया। रेफरल लैब, पूणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक 320F/FSSA/2023 dated 21-06-2023 के अनुसार खाद्य नमूना के–1617 Substandard Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री हनुमान पुत्र श्री ओमप्रकाश, मैसर्स साहिल किरयाना स्टोर, मिर्जेवाला, श्री गंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **घी (सरस ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.09.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई। अप्रार्थी सं. 01 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी सं. 02 की ओर से अधिवक्ता श्री प्यारा सिंह उपस्थित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप गलत व बेबुनियाद है। यह कि नोटिस में वर्णित मै० हर्ष साहिल किरयाना स्टोर, मिर्जेवाला वार्ड नम्बर 07, श्रीगंगानगर से 500–500 मिली के 6 गत्ता शील्ड पैक खाद्य पदार्थ कार्टुनो के अन्दर पदार्थ घी सरस ब्रांड बरामद किया जाना अंकित किया गया है। यह कि प्रार्थी फर्म होल सेल विक्रेता है। प्रार्थी फर्म द्वारा मै० हर्ष साहिल किरायाना स्टोर मिर्जेवाला को घी विकय किया गया था, निरीक्षण के दौरान जो घी बरामद होना बताया जाता है, उसका बिल प्रार्थी फर्म का निरीक्षण के दौरान पेश कर दिया गया, निरीक्षण के दौरान न तो प्रार्थी को मौका पर बुलाया गया और ना ही बरामद किये गये घी के बैच नम्बर प्रार्थी फर्म द्वारा काटे गये बिल मे अंकित बैच नम्बर का मिलान किया गया है। कानून व नियमों के अनुसार निरीक्षण के दौरान प्रार्थी को मौका पर बुलाया जाना एवं प्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक था, परन्तु निरीक्षक द्वारा ऐसा न करके कानून व नियमो का उल्लंघन किया है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि बरामदा शुदा घी के बैच नम्बर एवं प्रार्थी फर्म के बिल मे अंकित बैच नम्बर का मिलान किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध जारी किया गया नोटिस निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **घी (सरस ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1617** रेफरल लैब, पूणे द्वारा जारी जांच रिपोर्ट कमांक 320F/FSSA/2023 dated 21-06-2023 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्‌य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी फर्म द्वारा मै० हर्ष साहिल किरायाना स्टोर मिर्जेवाला को घी विकय किया गया था, निरीक्षण के दौरान जो घी बरामद होना बताया जाता है, उसका बिल प्रार्थी फर्म का निरीक्षण के दौरान पेश कर दिया गया, निरीक्षण के दौरान न तो प्रार्थी को मौका पर बुलाया गया और ना ही बरामद किये गये घी के बैच नम्बर प्रार्थी फर्म द्वारा काटे गये बिल मे अंकित बैच नम्बर का मिलान किया गया है। कानून व नियमों के अनुसार निरीक्षण के दौरान प्रार्थी को मौका पर बुलाया जाना एवं प्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया जाना अति आवश्यक था, परन्तु निरीक्षक द्वारा ऐसा न करके कानून व नियमो का उल्लंघन किया है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि बरामदा शुदा घी के बैच नम्बर एवं प्रार्थी फर्म के बिल मे अंकित बैच नम्बर का मिलान किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध जारी किया गया नोटिस निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample is **Substandard** as defined under section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act-2006 as it does not conform to the standard laid down for **Gheee** under the provision of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Regulations 2011 and Food Safety and Standards [Prohibition & Restriction On Sales] Regulation -2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री हनुमान पुत्र श्री ओमप्रकाश, मैसर्स साहिल किरयाना स्टोर, मिर्जेवाला, श्री गंगानगर और श्री रामेश्वरलाल, मै. रवि किराना स्टोर, दुकान नं. 97–98, मैन बाजार, केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री हनुमान पुत्र श्री ओमप्रकाश, मैसर्स साहिल किरयाना स्टोर, मिर्जेवाला, श्री गंगानगर** को राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) और **श्री रामेश्वरलाल, मै. रवि किराना स्टोर, दुकान नं. 97–98, मैन बाजार, केसरीसिंहपुर, श्रीगंगानगर** को राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर